### राजस्थान सरकार

**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

**क्रमांक प. 22(14)न्याय / 2018**

**जयपुर, दिनांक 20.12.18**

#### आवेदन:

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के नियामक कार्यक्रम को उक्त प्राध्यापन पत्र के क्रम में उक्ते नामों के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्तित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एवं दायरा प्रदान की जाती है--

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.स.</th>
<th>नाम (उर्दू/स्पर्शी/श्रीमती/दा.)</th>
<th>विभाग का नाम</th>
<th>परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>हेमन्त सिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी</td>
<td>मोनेटिंग सेल (विधि प्रक्रिया), कार्यालय मुख्य सचिव, सचिवालय जयपुर</td>
<td>राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मुख्य संग्रह प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>आशोक मुंबर कनिष्ठ विधि अधिकारी</td>
<td>विधि (पुर-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर</td>
<td>राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मुख्य संग्रह प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अनामिका भूषण वरिष्ठ विधि अधिकारी</td>
<td>निदेशालय, आर्थिक एवं साइकिल विभाग, जयपुर</td>
<td>राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मुख्य संग्रह प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी</td>
<td>राजक्षेत्र (उप निदेशक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर</td>
<td>राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मुख्य संग्रह प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>विकास अग्रवाल कनिष्ठ विधि अधिकारी</td>
<td>निदेशालय, रिक्टिक्स एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर</td>
<td>राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मुख्य संग्रह प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### नोट

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्राध्यापक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिनों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्यक्रम वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यवाही है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

**(महासचिव समी) संयुक्त शासन सचिव**

---

प्रतिलिपि निम्न को सुनवाइ के एवं आवश्यक कार्यों के हेतु प्रस्तावित है--

1. संभालित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्राम, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संभालित विभाग/रक्षित पत्रावली